

प्रारूप-3

भाग-2 (संवर्धित उप वन संरक्षण द्वारा करा जाएगा)

10. परिचयना या स्वीकृति की अवधि ~~रतियत से अधिक होना चाहिए~~

(i) राज्य/संघराज्य ~~उत्तराखण्ड~~

(ii) जिला ~~काठमांडू~~

(iii) जिला वन प्रभाग ~~कमलेश्वर वन प्रभाग काठमांडू~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र ~~1.050 हेक्टे~~

17. पूर्वेक्षण के लिए परधानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति ~~सिविल टैन खेपन वन अधिनियम~~

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा ~~नीचे दिया~~

(i) वन का प्रकार ~~डे-सफारेस्ट~~

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व ~~1.2~~

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अर्पित वृक्षों की परिचयना ~~संलग्न है~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का लिए कार्यवन्धन योजना का नुस्खा ~~नहीं~~

19. भूस्वामि के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्वामित्व और क्षेत्रता पर संक्षिप्त टिप्पण ~~भूस्वामि की सम्भावना नहीं~~

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी ~~2.60 कि.मी.~~

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता ~~निम्न नहीं~~

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा ~~अच्छे प्रकार वन्य जीव निवास नहीं~~

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैसे क्षेत्र आसपास, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अनावास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपायवाद किए जाने में मुख्य वन्य जीव बाईन की और टीका टिप्पणियों उपायवाद की जाए ~~नहीं~~

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैसे क्षेत्र आसपास व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव बाईन की टीका-टिप्पणियों उपायवाद की जाए ~~नहीं~~

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैसे क्षेत्र आसपास व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव अनावास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव बाईन की टीका-टिप्पणियों उपायवाद की जाए ~~नहीं~~

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरा में अलग किस्म के खतरा की प्रजातियां हैं, यदि है तो उसका ब्योरा ~~नहीं~~

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रागैतिहासिक स्थापना या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायवाद किए जाने के लिए संक्षिप्त प्राथमिकता से अनामति प्रमाण-पत्र (एन आ सी) का साथ उभरा दिया है ~~नहीं~~

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की सुविधासुवता के साथ में टीका टिप्पणियों ~~विस्तार के प्रमाण के प्रमाण प्रमाण किया जाना होगा~~

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोगिता अधिकांश द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परिचयना के लिए और न्यूनतम है ~~कमलेश्वर वन अभ्यारण वन अधिनियम~~

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिंकारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है ~~है~~

24. दिए गए अधिकरण के ब्योरे

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधिकरण में किसी कार्य का किया गया है ~~नहीं~~

(ii) यदि हा, की गई कार्य अपेक्षा, अधिकरण में अवर्धित वन भूमि, अधिकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (सी) का नाम, पता और पदनाम, संक्षिप्त अधिकरण के ब्योरे और अधिकरण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (सी) के निरूपण की गई कार्यवाही ~~नहीं~~

(iii) क्या अधिकरण ने कार्य अथवा भी प्रगति में है ~~नहीं~~

25. क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण यद्वा के लिए परधान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति ~~सिविल टैन खेपन वन अधिनियम~~

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए परधान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे ~~सिविल टैन खेपन वन अधिनियम~~

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए परधान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन क्षति करने वाले 150,000 माप के मृत व वृक्ष परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं ~~संलग्न है~~

(हाँ/नहीं)

संलग्न है

प्रमाण-पत्र सलग्न है (हा/नहीं)

निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हां/नहीं) ☒ हां ☐ नहीं

स्थान - कलहोली

तारीख: 15-03-2018

उत्तराखण्ड नाम शास्त्रयोग मुद्रा

प्रभागीय वनाधिकारी,

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा